

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

विषय:- पटना जिलान्तर्गत पटना शहर में अग्निशामन कार्य के लिए अग्निशामक वाहनों में पानी उपलब्ध कराने हेतु पटना नगर निगम क्षेत्र के 25 स्थानों के लिए संशोधित मॉडल के लिए पुनरीक्षित लागत राशि ₹ 31,47,500 (एकतीस लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ ₹0) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 6,15,000 (छः लाख पन्द्रह हजार ₹0) विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4084, दिनांक-02.12.2016 के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-7430, दिनांक-15.09.2016 द्वारा पटना जिलान्तर्गत पटना शहर में अग्निशामक कार्य के लिए अग्निशामक वाहनों में पानी उपलब्ध कराने हेतु 45 स्थानों (जल मिनार/पम्पिंग स्टेशन के पास) फायर हाईड्रेण्ट लगाने के लिए मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति अद्द ₹ 1,01,300 (एक लाख एक हजार तीन सौ ₹0) की दर से कुल प्राक्कलित राशि ₹ 45,58,500 (पैंतालीस लाख अंठावन हजार पाँच सौ ₹0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं पूर्ण राशि विमुक्त की गयी है, जिसमें से पटना नगर निगम के 25 स्थानों के लिए कर्णांकित राशि ₹ 25,32,500 (पच्चीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ ₹0) मात्र थी। स्वीकृत 45 स्थानों में से पटना नगर निगम के 25 स्थानों पर फायर हाईड्रेण्ट लगाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, जलापूर्ति शाखा, पटना नगर निगम, पटना द्वारा संशोधित मॉडल प्राक्कलन तैयार करते हुए संशोधित दर ₹ 1,25,900 (एक लाख पच्चीस हजार नौ सौ ₹0) मात्र के आधार पर कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 1,25,900 X 25 = ₹ 31,47,500 (एकतीस लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ ₹0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अन्तर वृद्धित राशि ₹ 31,47,500 - ₹ 25,32,500 = ₹ 6,15,000 (छः लाख पन्द्रह हजार ₹0) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त पटना जिलान्तर्गत पटना शहर में अग्निशामन कार्य के लिए अग्निशामक वाहनों में पानी उपलब्ध कराने हेतु पटना नगर निगम क्षेत्र के 25 स्थानों के लिए संशोधित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति अद्द ₹ 1,25,900 (एक लाख पच्चीस हजार नौ सौ ₹0) मात्र की दर से पुनरीक्षित लागत राशि ₹ 31,47,500 (एकतीस लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ ₹0) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 6,15,000 (छः लाख पन्द्रह हजार ₹0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 6,15,000 (छः लाख पन्द्रह हजार ₹0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या- 22 के बजट शीर्ष -"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-051-निर्माण- उपशीर्ष-0101-भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशाम सेवा", विपत्र कोड-P4070000510101 तथा राज्य योजना स्कीम कोड-HOM-5422 एवं विषय शीर्ष-53 01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-6/योजना-01-20/2015गृ0आ0 के पृ0-15/टि0 पर दिनांक-15.12.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0 :-6/योजना-01-20/2015 गृ0आ0...../पटना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/ पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के अवर सचिव